<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 3291/2018

गोपाल लाल सेन

बनाम

श्रीमती लल्लीदेवी

आदेश दिनांक : 28.08.2018

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा</u>

श्री पी एल शर्मा, अधिवक्ता–अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी को अपील तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश के पृष्ठ संख्या–5 पर यह तथ्य आये हैं कि–

> *''न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु जारी किये गये सम्मन जो कि 13.01.2010 को सुनवाई की तिथि के लिए जारी किये गये थे जो सम्मन मूल पत्रावली में संलग्न है जो साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 व ए–2 के रूप में प्रार्थी द्वारा प्रदर्शित कराये गये हैं। उन सम्मन की पुश्त पर यह अंकित है कि तामील कुनिन्दा श्री त्रिलोक सिंह द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि **<u>प्रतिवादी श्री गोपाल लाल सेन को तलाश करने पर वह मौके पर मौजूद नहीं मिला उसे तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस नकल देना चाहा तो उसने इंकार कर दिया।</u>** इंकार करने पर तामील कुनिन्दा श्री त्रिलोक द्वारा प्रतिवादी गोपाल के मकान के दरवाजे पर मौजूद दो गवाह श्री कृष्ण कुमार व महादेव के सामने नोटिस/नकल चस्पा कर गवाहों के विधिवत रूप से हस्ताक्षर कराये हैं तथा तामील कुनिन्दा द्वारा गोपाल लाल की निशादेही वादिनी के पति प्रभूलाल सेन से कराई गई है। इसी प्रकार तामील कुनिन्दा त्रिलोक सिंह द्वारा प्रतिवादी श्रीमती पप्पी की तामील हेतु भी मौके पर जाकर तलाश किया गया तो वह मौके पर नहीं मिली तथा मौके पर गोपाल लाल सेन नाम का व्यक्ति मिला जिसने स्वयं को पप्पी का पति बताया। तामील कुनिन्दा ने उसे नोटिस देना चाहा तो उसने इंकार किया जिस पर उसके खुले मकान के दरवाजे पर मौके पर मौजूद दो गवाह कृष्ण कुमार व महादेव बंसल के सामने नोटिस चस्पा कर हस्ताक्षर*

करवाये।''

उक्त निष्कर्ष से प्रकट होता है कि एक तरफ तामील कुनिन्दा गोपाल लाल का मौजूद नहीं मिलना बता रहा है और दूसरी तरफ गोपाल लाल द्वारा समन लेने से इंकार करना बता रहा है। इसी प्रकार गोपाल लाल की पत्नी के नहीं मिलने पर गोपाल की पत्नी का समन उसे देना चाहने पर उसके द्वारा समन लेने से इंकार करना बता रहा है जो आपस में विरोधाभासी रिपोर्ट हैं। अतः उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए इजराय कार्यवाही आगामी तिथि तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार इजराय कार्यवाही दो सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख हेतु स्मरण पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण अभिलेख प्राप्त होने के बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/49